प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 09.06.2025

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।**
- **थाना रूरा पुलिस द्वारा चैन स्नैचिंग करने की योजना बनाने वाले 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से स्नैच की गयी एक अदद चेन पीली धातु की व एक अदद एड्रायड फोन बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनाँक 05/06/2025 को श्री बालिस्टर सिंह चौहान पुत्र स्व0 मुकद्दम सिंह निवासी मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के साथ लाल पैशन प्रो मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा चैन स्नैचिंग की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनाँक 05/06/2025 को थाना रूरा पर मु0अ0सं0 181/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर 04 नफर अभियुक्तगण 1.अंकित सिंह पुत्र नबल सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम नुनारी थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात, 2.ध्रुवराज सिंह पुत्र सुधीर सिंह तोमर निवासी मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 3.सिन्टू यादव पुत्र राजेश यादव निवासी मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात व एक नफर बालअपचारी का नाम प्रकाश में आया। मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 09/06/2025 को गश्त के दौरान थाना रुरा पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए 01 नफर अभियुक्त **ध्रुवराज सिंह पुत्र सुधीर सिंह तोमर उम्र करीब 22 वर्ष नि0 मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रुरा कानपुर देहात** को बनीपारा मोड से समय 12.35 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से स्नैच की गयी एक अदद चेन पीली धातु की व एक अदद एड्रायड फोन Redmi 5g कम्पनी का बरामद हुए हैं। शेष 01 नफर अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना रूरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2025 धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. ध्रुवराज सिंह पुत्र सुधीर सिंह तोमर उम्र करीब 22 वर्ष नि0 मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रुरा कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरे ही घर के पास मोहल्ला रामनगर कस्बा रुरा में एक 75 साल के वृद्ध व्यक्ति बालिस्टर सिंह रहते हैं मैंने व मेरे दोस्त सिन्टू यादव पुत्र राजेश यादव नि0 मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रुरा कानपुर देहात द्वारा दिनांक 04.06.2025 को समय करीब 06.00 बजे शाम को बालिस्टर सिंह के गले से सोने की चेन झपट्टा मारकर छीनने की योजना बनाई थी, फिर मैने दिनांक 05.06.2025 को फोन करके अपने दोस्त अंकित सिंह व अशरफ को बालिस्टर सिंह के गले से चेन छीनने की योजना बतायी l इस योजना में वे तुरन्त शामिल हो गये। इसके बाद मैं अपनी बुलेट से आगे-आगे और अशरफ व अंकित एक दूसरी मोटर साइकिल पैशन प्रो से मेरे पीछे पीछे मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रुरा आये और समय करीब 12.10 से 12.30 बजे दिन में जब बालिस्टर सिंह अपने घर के बाहर बैठकर मोबाइल चला रहे थे तब अंकित सिंह और अशरफ ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली थी। इसके बाद हम ग्राम फत्तेपुर थाना डेरापुर स्थित आईटीआई स्कूल के पास खेतों के पास मिले, जहां मैने वह सोने की चेन ले ली और अशरफ को 2,000 रुपये नगद व 13000 रुपये उसके खाते में व अंकित को 15,000 रुपये दे दिये थे एंव सिन्टू को भी 15000/- रूपये दिये थे व सोने की चैन मैने अपने पास रख लिया था। इसके बाद से मै अपने घर पर ही रहा और उनसे लगातार फोन से सम्पर्क मे रहा था, फिर जब मुझे कल जानकारी हुई कि अंकित सिंह व अशरफ को पुलिस ने पकड लिया है तो मैं कल अपने घर से अकबरपुर कानपुर देहात में इधर-उधर छिपता रहा था। आज मैं बालिस्टर सिह की छीनी हुई सोने की चेन को बेचने कानपुर नगर जाने के लिए बनीपारा मोड पर अपने मित्र सिन्टू यादव का इंतजार कर रहा था कि आप पुलिस वालो ने मुझे पकड लिया। मेरे पास से बरामद सोने की चेन वही है जो अंकित व अशरफ ने बालिस्टर सिंह से छीनी थी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 181/2025 धारा 304(2)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद चेन पीली धातु की
2. एक अदद एड्रायड फोन Redmi 5g कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामकिशुन वर्मा
2. का0 257 लवकुश चौधरी
3. का0 884 सुधीर छोंकर